

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, पं0 चम्पारण, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, भोजपुर, नवादा, सारण एवं
सहरसा।

पटना, दिनांक- 6.3.2019

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी
होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-
33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल
₹ 1,01,34,000/- (एक करोड़ एक लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह,
सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के
अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,01,34,000/- (एक करोड़ एक लाख चौतीस
हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वसभाजन



(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, पं0 चम्पारण, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, भोजपुर, नवादा, सारण एवं
सहरसा।

पटना, दिनांक- 2019

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी
होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-
33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल
₹ 1,01,34,000/- (एक करोड़ एक लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह,
सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के
अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,01,34,000/- (एक करोड़ एक लाख चौतीस
हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-


(अवनीश कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-05/2018 सा०-.....52 /

पटना, दिनांक- 6.3. 2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, पं० चम्पारण, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, भोजपुर, नवादा, सारण एवं सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन:-

क्रम संख्या	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	जिला का नाम													योग
			पूर्वी चम्पारण	प० चम्पारण	अररिया	किशनगंज	दरभंगा	वैशाली	मौजपुर	नवादा	सारण	सहर्सा	योग			
1	01 01	देतन	0	0	0	0	2,00,000	45,700	0	0	0	0	0	0	0	2,45,700
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	0	0	0	0	80,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	81,500
3	01 04	मकान किराया भत्ता	0	0	0	0	45,000	300	0	0	0	0	0	0	0	45,300
4	01 06	विकिर्सा भत्ता	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
5	01 07	अन्य भत्ता	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
6	13 01	कार्यालय व्यय	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	0	1,00,000	50,000	0	0	0	7,50,000	
7	13 03	दूरभाष	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
8	13 06	दर्जी/पोशाक	3,500	5,000	0	0	15,000	10,000	8,000	0	0	0	0	0	41,500	
9	14 01	किराया महसूल एवं कर	0	0	0	0	0	0	2,00,000	0	0	0	0	0	2,00,000	
10	21 01	सामग्री एवं पूर्तिर्था	4,20,000	15,00,000	1,00,000	17,00,000	3,60,000	5,00,000	8,00,000	4,00,000	5,00,000	20,00,000	0	0	82,80,000	
11	52 01	मशीन एवं उपकरण	0	0	3,00,000	0	1,00,000	0	30,000	0	0	0	0	0	4,30,000	
कुल योग--			5,28,500	16,10,000	5,05,000	18,00,000	9,40,000	6,62,500	10,38,000	5,00,000	5,50,000	20,00,000	0	0	101,34,000	

(एक करोड़ एक लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र।

सरकार के उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग